बिहार विधान सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार तिथि १३ अप्रिल १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण

सभा का अधिवेशन पटने में वृहस्पतिवार तिथि १३ अप्रिल १९५० को ३-३० बजे पुर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर

SHORT NOTICE QUESTION & ANSWERS.

Official vagaries in allotment of sugar cane supply.

11. Shri HARINATH MISHRA :

Will the Hon'ble the Development Minister be pleased to state—

(a) whether his attention has been drawn to a news item captioned "Official vagaries in allotment of sugar cane supply" published in a Patna English daily of the 5th April, 1950 ;

(b) if the reply to clause (a) be in the affirmative, whether it is true that about 1000 direct cane-growers under Rajnagar weighment Station (District Darbhanga) have not been able to sell even a fraction of their cane to the factory although the crushing season is at its fag end; if so what steps Government have taken or propose to take in that connection; if not, what is the true position ;

(c) the basis on which allotments are fixed for the daily supply of sugarcane to the factories between the two classes of growers viz. direct-growers and growers who are members of Sugar cane Co-operative Societies;

(d) whether the basis holds good in the case of areas under Rajnagar weighment station; if so, how so, if not why not ?

लोगों ने ऐसा propaganda शुरु कर दिया है जिससे कि मिलों के रिजर्व एरिया की शतप्रतिशत बिक्री सोसाइटियों के जिम्मे नहीं दिया गया।

श्री वीरचन्द्र पटेल :

सरकार को इसकी खबर नहीं है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

चौतरवा डोम सेटलमेंट

*** ३०२। श्री जयनारायण प्रसाद :**

क्या माननीय मंत्री कल्याण विभाग, बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) चौतरवा डोम सेटलमेंट से कितने डोम अब तक सी० टी० ऐक्ट के मुताबिक सेटलमेंट में बन्द होने से रिहा किये गये हैं ;

(ख) वे रिहा किये हुये लोग कहां-कहां रहते हैं;

(ग) ये अपने जीविका निर्वाह के लिए कौन-कौन सा काम करते हैं;

(घ) उनमें से कितने आदमी रिहाई पाने के बाद चोरी या डकैती में सजा पाये हैं;

(ङ) क्या सरकार सेटलमेंट के मैनेजर से रिपोर्ट लेकर नेक चाल-चलन वाले डोमों को सी० टी० ऐक्ट के मुताबिक रिहा करने को तैयार है ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

(क) चौतरवा डोम में १५८ व्यक्ति C. T. Act से मुक्त हैं। इसके अलावे १०८ बच्चे अभी तक registered नहीं हुए हैं जो उसी settlement में रहते हैं।

(ख) वे मुक्त लोग भी settlement में ही रहते हैं।

(ग) यह अपने जीविका के लिये जमीन जोतते हैं और मजदूरी भी करते हैं।

(घ) ये आंकड़े अभी प्रस्तुत नहीं है, इसके लिये समय की आवश्यकता है।

(ङ) इस विषय पर सरकार विचार कर रही है और आंकड़े मांगे जा रहे हैं

श्री जयनारायण प्रसाद :

क्या सरकार को मालूम है कि settlement से जो रिहा हुये हैं वे राम नगर में रहते हैं ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

जो रिहा हो गये हैं उनको अधिकार है कि वे जहाँ चाहें रहें लेकिन जो

लोग वहाँ रहना चाहते हैं उन्हें रहने दिया जाता है।

श्री जयनारायण प्रसाद :

क्या सरकार को मालूम है कि जो लोग वहाँ रहते हैं वे अपनी जीविका के लिए चोरी करते हैं।

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

इसकी खबर नहीं है।

श्री जयनारायण प्रसाद:

उस settlement में कुछ ऐसे डोम हैं जिनके चाल चलन अच्छे हैं। तो उनको Act के मुताबिक क्यों नहीं रिहा किया जाता है ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

सरकार ने एक कमिटी इस सिलसिले में बनाई थी जिसने यह रिपोर्ट दे दी है कि C. T. Act को रद्द कर दिया जाय। यह रिपोर्ट Govt. of India के यहां भेजी गई है। Govt. of India ने एक कमिटी इसके लिये बनाई है जो इस दिशा में काम कर रही है।

श्री जयनारायण प्रसाद :

C. T. Act को repeal करना तो Govt. of India के हाथ में है लेकिन नेक चाल-चलन वाले को छोड़ना तो सरकार के हाथ में है ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

जितने लोग रिहा हुये हैं वे सब C. T. Act के मुताबिक ही हुये हैं।

श्री जयनारायण प्रसाद :

क्या रिहा करना गवर्नमेंट का काम नहीं है ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

रिहा करना Govt. का काम नहीं है बल्कि कलक्टर को अधिकार है कि जिसको वह मुनासिब समझे रिहा करे।

श्री जयनारायण प्रसाद :

कलक्टर क्या अपने मन से यह सब काम करता है ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

हां, कलक्टर को अपना अधिकार है।

श्री रामगुलाम चौधरी :

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जहां जहां स्कूलों में तार... ...

माननीय अध्यक्ष :

शान्ति-शान्ति। इसका जवाब मिल चुका है।

श्री गौरीशंकर डालमिया :

क्या सरकार को इरादा है कि वह कलक्टर को खबर दे कि इसके बारे में वह leniency से काम ले।

माननीय अध्यक्ष :

कानून के मामले में leniency से काम लेने का आदेश कैसे दिया जा सकता है ?

चौतरवा डोम सेट्लमेंट स्कूल

*३०३। **श्री जयनारायण प्रसाद :**

क्या माननीय मंत्री, कल्याण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि आज भी चौतरवा डोम सेट्लमेंट में जो स्कूल है वह कंटीले तारों से घिरा है तथा उस मकान की खिड़कियों में छड़ की जगह वही कंटीले तार लगाये गये हैं ;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर 'हां' है तो क्या सरकार उस स्कूल से तार हटाने तथा उसकी खिड़कियों में तार की जगह छड़ लगाने का प्रबन्ध करने को तैयार है ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गत २४ मार्च को एक इसी प्रकार के प्रश्न के उत्तर के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जवाब गलत है। इस पर बेतिया के S. D. O. को रिपोर्ट के लिए लिखा गया था। उनकी रिपोर्ट आ गई है। मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

Copy of tha enquiry report laid on the table.

SHRI SARANGDHAR SINHA : On which date the enquiry was made.

Hon'ble SHRI JAGLAL CHOWDHARY : The date is not given.

SHRI SARANGDHAR SINHA : Who is responsible Officer ?

Hon'ble SHRI JAGLAL CHOWDHARY : He must be some Gazetted Officer.

श्री जयनारायण प्रसाद :

क्या यह सही नहीं है कि सवाल करने के बाद और जवाब मिलने के पहले तार वहां से हटा दिये गये ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

सरकार को इसकी खबर नहीं है।